वायु प्रदूषण निवारण उपायों की समीक्षा की और शास्त्री पार्क स्थितसुविधा का दौरा किया

गणमान्य व्यक्तियों ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया;

150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया; और दिल्ली में 13 नए सीएएक्यूएमएस का उद्घाटन किया

पीआईबी

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) ने आज आनंद विहार के प्रमुख प्रदूषण केंद्र में दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तृत समीक्षा की। गणमान्य व्यक्तियों ने शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के एआई से लैस एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) का भी दौरा किया।

गणमान्य व्यक्तियों ने समीक्षा के दौरान दिल्ली के आईएसबीटी आनंद विहार, नंद नगरी डिपो, रोहिणी सेक्टर-37 डिपो, नांगलोई डिपो और केशोपुर डिपो में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया, साथ ही स्वामी विवेकानंद आईएसबीटी, आनंद विहार में 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्रियों ने दिल्ली भर में डीपीसीसी द्वारा स्थापित 13 नए सतत परिवेशी



वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री (जीएनसीटी) सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, परिवहन मंत्री (जीएनसीटी) डॉ. पंकज कुमार सिंह, पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, साथ ही केंद्र और एनसीटी दिल्ली सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

पंचायती राज मंत्रालय विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत 14 अक्टूबर 2026 को स्वच्छता अभियान चलाएगा और लंबित मामलों का निपटारा करेगा

पीआईबी

पंचायती राज मंत्रालय स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के लिए चल रहे विशेष अभियान (एससीडीपीएम 6.0) के अंतर्गत, 14 अक्टूबर 2026 को एक दिवसीय स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान का विशेष अभियान आयोजित करेगा। यह अभियान, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले अभियान के कार्यान्वयन चरण का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्यालय स्थान के उपयोग में सुधार करना और लंबित मामलों, जिनमें संदर्भ और अन्य पहचाने गए लंबित मामले शामिल हैं, के निपटान में तेजी लाना है। इस दिन के लिए नियोजित गतिविधियों में कार्यस्थलों पर स्वच्छता श्रमदान और स्वच्छता अभियान, आवश्यक मरम्मत और अव्यवस्था को दूर करना, जैव-अपशिष्ट प्रबंधन पर कर्मचारियों का मार्गदर्शन, ई-अपशिष्ट का उचित संग्रह, पृथक्करण और निपटान, स्क्रैप निपटान, जन शिकायत निवारण, सफ़ाई मित्रों के साथ बातचीत और अभियान के तहत प्रगति की समीक्षा शामिल है। मंत्रालय के सभी विभाग और अनुभाग इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और नियोजित गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए योगदान दे रहे हैं।

जमीनी स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, 14 अक्टूबर 2026 की तारीख देशभर के पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए समर्पित अभियान गतिविधियों को संचालित करने हेतु निर्धारित की गई है। इससे पहले, मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को परामर्श जारी कर पीआरआई/आरएलबी की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया था। इन गतिविधियों में पंचायत कार्यालयों और आसपास के सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता अभियान, अनुपयोगी सामग्री को हटाना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण और सामुदायिक भागीदारी के साथ वृक्षारोपण शामिल होंगे।



जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली के कृषि भवन में राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।



राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, मसूरी में सीमाओं से परे भाषिनी का वॉयस-फर्स्ट बहुभाषी एआई

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण: नमामि गंगा के अंतर्गत विनियमों से सतत विकास

पीआईबी

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण नदी संरक्षण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है, और विनियमन पारंपरिक प्रवर्तन से निरंतर अनुपालन, वैज्ञानिक निगरानी, स्वच्छ उत्पादन, संसाधन दक्षता और तकनीकी सुधार की ओर तेजी से विकसित हो रहा है।

नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) की व्यवस्थित सूची तैयार करने और वार्षिक निरीक्षण, स्वतंत्र तकनीकी आकलन, क्षेत्र-विशिष्ट चार्टर लागू करने, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की निगरानी, ??लक्षित कार्य योजनाओं और निरंतर नियामक अनुपालन के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत किया गया है। ये सभी उपाय मिलकर उद्योगों के लिए प्रदूषण कम करने और जल एवं संसाधन दक्षता में सुधार लाने का एक अधिक जवाबदेह और टिकाऊ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

आवधिक निरीक्षण से लेकर निरंतर अनुपालन तक

राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण - सीपीसीबी के सहयोग से 2017 में शुरू हुई अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआईज) के लिए वार्षिक निरीक्षण तंत्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल रही है। यह कार्यक्रम गंगा बेसिन में ऐसे उद्योगों के 100 प्रतिशत निरीक्षण पर केंद्रित है, जो राष्ट्रीय महत्व के तकनीकी संस्थानों जैसी तृतीय-पक्ष एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, और प्रभावकारिता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। 2026 के निरीक्षण चक्र के लिए, निरीक्षण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 40 तकनीकी संस्थानों को नामित किया गया है। वर्ष 2017 के बाद से इस निगरानी ढांचे का दायरा काफी बढ़ गया है। 2025 के निरीक्षण चक्र में 3,703 जीपीआईज (गंगा बेसिन में 1,296 जीपीआईज और यमुना बेसिन में 2,407 जीपीआईज) का आकलन किया गया। इस अभ्यास में छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 113 जिले शामिल थे, जिनमें गंगा और यमुना की 46 सहायक नदियों और उप-सहायक नदियों में जल का प्रवाह होने की क्षमता है।

इंडिया पोस्ट और इंडिगो ने डिजिटल डिटॉक्स अभियान के साथ आसमान में पोस्टकार्ड पहुंचाना शुरू कर दिया

पीआईबी - राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान डाक टिकट संग्रह दिवस पर 30,000 फीट की ऊंचाई पर यात्री स्क्रीन से दूर ताजगी भरी राहत लेने के साथ हस्तलिखित पत्रों के आनंद और सार्थक मानवीय सम्बंधों को पुनः अनुभव करते हैं

तेजी से डिजिटल होते जा रहे इस दौर में हस्तलिखित संचार के आनंद को पुनर्जीवित करने के प्रयास में, संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इंडिगो के सहयोग से 12 अक्टूबर को एक अनूठा डिजिटल डिटॉक्स अभियान आयोजित किया। यह अभियान 9 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले राष्ट्रीय डाक सप्ताह समारोह के दौरान डाक टिकट संग्रह दिवस के रूप में मनाया गया। इस पहल ने यात्रियों को अपने डिजिटल उपकरणों से कुछ समय के लिए दूर रहने, अपने विचारों को कागज पर उतारने और पत्र लेखन के माध्यम से अपने प्रियजनों से पुनः जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। (हस्तलिखित संचार को प्रोत्साहित करने के लिए यात्रियों को डिजिटल डिटॉक्स किट वितरित की गई) इस अभियान के तहत, चुनिंदा इंडिगो उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान पोस्टकार्ड युक्त विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिजिटल डिटॉक्स किट भेंट किए गए। इस अभियान ने बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के यात्रियों को आपस में जोड़ा। यात्रियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया और हस्तलिखित संचार के अनुभव का आनंद लेते हुए आगमन हवाई अड्डों पर विशेष रूप से स्थापित इंडिया पोस्ट लेटर बॉक्स में आगे भेजने के लिए अपने पत्र डाले।

डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु डीएएचडी की डीबीआईएम-अनुकूल वेबसाइट का शुभारंभ किया

पीआईबी

भारत के डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने आज अपनी डीबीआईएम-अनुकूल वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा जारी डिजिटल बिल्डिंग आइडेंटिटी मैनुअल (डीबीआईएम) वर्जन 3.0 के अनुरूप विकसित किया गया है। भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ??ललन



सिंह ने नई एवं परिष्कृत वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए कहा: ÷पशुपालन और डेयरी विभाग की डीबीआईएम-अनुकूल वेबसाइट का शुभारंभ हमारी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी व नागरिक-केन्द्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल 'डिजिटल इंडिया' और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप है।÷

केन्द्रीय मंत्री ने इस कार्य को संभव बनाने के लिए डीएएचडी की आईटी टीम और एनआईसी की सराहना की। साथ ही, उन्होंने सभी हितधारकों से पशुपालन और डेयरी विभाग की नई वेबसाइट देखने और उसके बेहतर फीचर्स का उपयोग करने के लिए कहा ताकि वे पशुओं की सेहत, पशुपालन योजनाओं, डेयरी विकास, पशु प्रबंधन और विभाग की विभिन्न पहलों व सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकें।

एग्रीविजन-2026 के 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन का नई दिल्ली में आयोजन

पीआईबी

एग्रीविजन का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन□2026, 13□14 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित आईसीएआर-एनएएससी परिसर, पूसा में आयोजित किया जा रहा है। यह अधिवेशन एग्रीविजन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के कृषि शिक्षा प्रभाग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। एग्रीविजन के दसवें राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में यह आयोजन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारक एक साझा मंच पर एकत्रित हुए हैं। अधिवेशन में 25 राज्यों के कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के लगभग 450 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इनके साथ प्रख्यात वक्ता, वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि उद्यमी और किसान भी शामिल हैं।

उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआई) के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. एम. एल.



जाट उपस्थित रहे। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. वाई. एस. मलिक, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के कुलपति डॉ. अनुपम मिश्रा तथा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ए. के. सिंह शामिल रहे।

सभा को संबोधित करते हुए डॉ. एम. एल. जाट ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कृषि को केवल उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण तक सीमित न रखते हुए व्यापक कृषि-खाद्य प्रणाली और मूल्य शृंखला के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने बाजार अनुसंधान और बाजार संबंधी जानकारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कृषि उत्पादन को बाजार की मांग के अनुरूप बनाने तथा किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि उत्पादन को विपणन और मूल्य संवर्धन से जोड़ने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

डॉ. अनुपम मिश्रा और डॉ. ए. के. सिंह ने एग्रीविजन की गतिविधियों की सराहना की तथा विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने शिक्षण, अनुसंधान और कृषि प्रसार के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के महत्व को भी रेखांकित किया। यह अधिवेशन विद्यार्थियों, प्रख्यात वैज्ञानिकों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्यमियों और किसानों के बीच सार्थक संवाद स्थापित करने तथा कृषि मूल्य शृंखला से जुड़े विभिन्न पक्षों के विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान कर रहा। अधिवेशन में कृषि शिक्षा, तकनीकी परिवर्तन, अनुसंधान, बाजारोन्मुख कृषि, उद्यमिता और किसान-केंद्रित विकास जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

Truhome FINANCE

टूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

मुख्य कार्यालय: लेवल-3, पीकॉक्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी-2, भांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, भांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051; टेलीफोन: 1800 102 4345; वेबसाइट: http://www.truhomefinance.in
पंजीकृत कार्यालय: श्रीनिवास टॉवर, पहली मंजिल, सयाजी बंगला, सयाजी गंज, अल्कापुरी, वडोदरा, वेस्टर्न रेलवे, अल्कापुरी, वडोदरा, गुजरात-390018

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] **अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/ओं एवं जमानतदार/ओं को सूचित किया जाता है कि टूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक कब्जा टूहोम फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जहां है जैसा है", "जो है वैसा है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर 05.11.2026 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे के बीच ई-नीलामी में उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों से टूहोम फाइनेंस लिमिटेड को देय शेष राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जैसा कि तालिका में उल्लेख किया गया है। उधारकर्ताओं और गारंटरों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि तथा निरीक्षण की तिथि भी इस प्रकार दी गई है:

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधक का नाम	वसूली की राशि और मांग नोटिस की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.) एवं बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि व समय	संपर्क व्यक्ति का विवरण - AO एवं निपटान टीम
1. श्री कुप्पली प्रसाद राव पुत्र श्री कुप्पली वेंकट राव (उधारकर्ता) 2. श्रीमती के. विमलेश राव पत्नी श्री कुप्पली प्रसाद राव (सह-उधारकर्ता) पता - बोलार परिसर के पास, देवरीखुर्द, बिलासपुर, छ.ग. - 495004 इसके अलावा 196/197, अटल आवास, बीएसएनएल कार्यालय के पास, देवरीखुर्द, बिलासपुर, छ.ग. - 495004 ऋण खाता संख्या SHLHBILA00000184 और SHLHBILA0000231 कब्जे की तारीख और समय 24/08/2026 एवं भौतिक कब्जा भार ज्ञात	रु. 18,74,806/- 06/06/2025 तक साथ में ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत आदि मांग नोटिस की तिथि: 12.06.2025	रु. 15,50,000/- (पंद्रह लाख पचास हजार रुपये) बोली वृद्धि रु. 10,000/- और ऐसे गुणकों में बयाना राशि जमा (ईएमडी) (रु.) रु. 1,55,000/- (रुपये एक लाख पचपन हजार मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 02/11/2026 समय सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक	05 नवंबर 2026 समय 11:00 बजे से 01.00 बजे तक	कटटम केयर नंबर 022-40081572 श्री देवज्योति रॉय +91 09874702021 श्री ब्रजेन्द्र सिंह गुर्जर +91 9977219366 श्री संदीप सिंह नॉगरा +91 9644676767 संपत्ति निरीक्षण दिनांक: 31/10/2026 प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक

संपत्ति का विवरण

आवासीय मकान संख्या: EWS-184, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दीनदयाल नगर, मौजा देवरीखुर्द, पी.एच. संख्या: 24/31, आरआई सर्कल सिरगिट्टी बिलासपुर, ब्लॉक बिल्हा, तहसील और जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल: 581.04 वर्ग फुट। सीमा: उत्तर:- EWS-183, दक्षिण:- EWS-185, पूर्व:- EWS-199 पश्चिम:- 6 मीटर चौड़ी कॉलोनी सड़क

1) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया टूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) की वेबसाइट देखें। 2) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नीचे दिए गए खाते के विवरण में जमा करनी होगी: बैंक का नाम: एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा: बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई बैंक खाता संख्या: चालू खाता संख्या: 911020045677633 आईएफएससी कोड: यूटीआईबी0000230

स्थान: बिलासपुर-छ.ग.
दिनांक 14-10-2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी-
टूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)